



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128959

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20078/2026

कन्हैया

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता: आनंद मोहन पांडे, धर्मेन्द्र सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।
- आवेदक की ओर से यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 147/2025, अन्तर्गत धारा 64, 333, 351(2) बी.एन.एस., थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई है।
- आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से इस मामले में फंसाया गया है। एफ.आई.आर., धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के तहत दिए गए आवेदन पर सक्षम न्यायालय द्वारा 28.10.2024 को पारित आदेश के आधार पर 19.12.2025 को दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज करने का आवेदन संबंधित न्यायालय में 28.10.2024 को दी गई थी, जबकि घटना 04.10.2024 को हुई बताई जाती है। एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देने में 24 दिन की देरी हुई है। पीड़िता एक वयस्क महिला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है और उसके दो बच्चे हैं। एफ.आई.आर. में उसने कहा है कि घटना के दिन, यानी 04.10.2024 को उसने 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया था और जब पुलिस घटना स्थल पर पहुँची, तो आवेदक वहाँ नहीं मिला। इसके बाद, पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में साफ़ तौर पर कहा है कि घटना के दिन उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए वह इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित नहीं कर सकी। आवेदक और सूचनाकर्ता के बीच संपत्ति का विवाद है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 08.05.2026 से जेल में है। ज़मानत मिलने पर, वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की ज़मानत की आवेदन का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की संलिप्तता, सज़ा की गंभीरता, दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मेरी यह राय है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए आधार बना लिया है। ज़मानत की आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक-~~कन्हैया~~, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार प्रत्येक पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक वचन करेगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का पालन न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(iv) आवेदक तय हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहेगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय उसके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 229-ए (संबंधित धारा 269 बी.एन.एस.) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 (संबंधित धारा 84 बी.एन.एस.एस.) के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार भा.दं.सं. की धारा 174-ए (संबंधित धारा 209 बी.एन.एस.) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) वाद शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313 (जिसके बराबर बी.एन.एस.एस. की धारा 351 है) के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय ज़मानत रद्द कर सकता है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत आवेदन पर फैसला करने के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी,)

24 जून, 2026

टी.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”